न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 94 / 2022 निर्णय दिनांक :– 14.11.2022

उनवानी दावा :

1. सुखलाल पुत्र हरजीलाल जाति बलाई निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0।
2. रामकिशन पुत्र सूरजमल जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0 ।
3. घीसालाल पुत्र चतुर्भुज कुमावत जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
4. छीतरलाल पुत्र कालूराम कुमावत जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज० ।

–वादीगण–

बनाम

1. कैलाशकंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत निकली हिसामपुर तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली. जिला–टोंक राज0 ।
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली. जिला–टोक राज0 ।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
5. ललिताकंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
6. विरेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
7. तहसीलदार देवली, जिला–टोंक राज० ।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

भारत सिंह सोलंकी
प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188, 209 आर टी एक्ट

—:निर्णय:—

पत्रावली वास्ते निर्णय राजीनामा में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं० 1 ता 6 के पिता सज्जनसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर की भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली, जिला– टोंक राज0 में स्थित भूमि को वादीगण द्वारा उक्त खसरा नं0 765 रकबा 0.28 है0 में से रकबा 0.14 है0 भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 04.07.2018 को कीमतन खातेदार प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता से खरीदकर उपपंजीयक देवली के यहाँ पंजीकृत करवा लिया था तथा विक्रेता सज्जनसिंह ने वादीगण को उक्त दिनांक को ही बेचानशुदा भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण द्वारा खरीदशुदा उक्त भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है० भूमि के विक्रय पत्र में वादी नं० 1 का 5/14 हिस्सा, वादी नं0 2 का 3/14 हिस्सा, वादी नं0 3 का 3/14 हिस्सा तथा वादी नं0 4 का 3/14 हिस्सा अनुसार खरीद किया। वादीगण द्वारा उक्त भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है० का विक्रय पत्र पंजीयन करवाने के बाद विक्रय पत्र की फोटो प्रति हल्का पटवारी को अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने के लिये दे दी थी परन्तु वादीगण के नाम उक्त भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है0 भूमि का नामान्तकरण नहीं खोला गया है और उक्त भूमि प्रतिवादीगण नं० 1 ता 6 के पिता के नाम दर्ज रह गई। उक्त भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है0 का नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं खुलने पर प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता सज्जनसिंह की मृत्यु होने पर प्रतिवादी नं० 1 ता 6 ने उक्त भूमि का फौती नामान्तकरण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी वादीगण को हाल ही पटवार हल्का से हुई तब वादीगण ने प्रतिवादीगण नं० 1 ता 6 को उक्त भूमि को अपने नाम लगवाने के लिए कहने पर प्रतिवादी नं० 1 ता 6 द्वारा मना कर दिया और अन्य को हस्तानान्तरण करने की धमकिया देने लग गये, जबकि वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी लगवाने के अधिकारी है। आराजी खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है0 का वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी उदघोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदारी की जाने हेतु तथा प्रतिवादी नं० 1 ता 6 का

नाम उक्त भूमि में अंकन को खातेदारी से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वो वाद वर्णित भूमि खसरा नं0 765 रकबा 0.14 है0 को किसी भी प्रकार से किसी के माध्यम से किसी के हक में हरतानान्तरण नहीं करे. वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पेश है। वाद कारण हाल ही में उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी न० 1 ता 6 को उक्त भूमि को अपने नाम लगवाने के लिए कहने पर प्रतिवादी नं० 1 ता 6 द्वारा मना करने व भूमि को अन्य को हस्तानान्तरण करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। प्रतिवादी नं0 7 लेण्ड हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद अन्तर्गत धारा 88 89 92ए, 188 209 आर. टी. एक्ट के तहत अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। विवाद ग्रस्त भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भारत सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:— वाद पत्र का चरण नं० 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 7 व 8 एवं 9कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 10 में चाही गई अधियाचना अ, ब, स स्वीकार है, वादीगण का वाद डिग्री कर दिया जावे। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया जावे।

दिनांक 14.11.2022 को सभी पक्षकारान व उभयपक्ष अधिवक्ता ने हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश किया, जिसके तथ्य इस प्रकार है:—उक्त उनवानी प्रकरण को राजीनामा होने से आज की लोक अदालत में रखवाया गया है। प्रतिवादीगण व वादीगण ने आज उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आज राजीनामा कर लिया है तथा उक्त उनवानी वाद में ख. नं. 765 रकबा 0.28 है0 वाके हिसामपुर मे से रकबा 0.14 है0 भूमि वादीगण नं. 1 ने 5/14 वादी नं. 2 ने 3/14, वादी नं. 3 ने 3/14 तथा वादी नं. 4 ने 3/14

उक्त हिस्सेनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के पिता सज्जन सिंह पुत्र छगन सिंह राजपूत से क्रय की थी। प्रतिवादी नं. 1 ता 6 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त पेरा नं. 2 मे वर्णित भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादीगण की आपति नही है। वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे । वादी उक्त वाद मे धारा 92 ए, 188, 209 एक्ट के तहत वाद नोट प्रेस करते है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2018 के अनुसार लेख्यकर्ता सज्जन सिंह पुत्र श्री छगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर ने खाता संख्या 316 ख. नं. 765 रकबा 0.28 है0 में से 0.14 है0 में भूमि का विक्रय वादी संख्या 1 को 5/14 हिस्सा वादी संख्या 2 को 3/14 हिस्सा, वादी संख्या 3 को 3/14 हिस्सा व वादी संख्या 4 को 3/14 हिस्सा का विक्रय किया था। सज्जन सिंह के फोत होने के बाद ख. नं. 765 रकबा 0.14 है0 का नामान्तकरण सज्जन सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम खोला गया जो जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में ख. नं. 765 रकबा 0.14 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में वाद को स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की। राजीनामा दिनांक 14.11.2022 वादीगण व प्रतिवादीगण व उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षकर कर, हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश किया जिसमें वाद अनुसार वाद को वादीपक्ष में डिक्री करने की प्रार्थना की। अतः राजीनामा व पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में ख. नं. 765 रकबा 0.14 है0 में से वादी संख्या 1 को 5/14 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 3/14 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 3/14 हिस्से का व वादी संख्या 4 को 3/14 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है।

तदुनसार तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

1. सुखलाल पुत्र हरजीलाल जाति बलाई निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0।
2. रामकिशन पुत्र सूरजमल जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0 ।
3. घीसालाल पुत्र चतुर्भुज कुमावत जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
4. छीतरलाल पुत्र कालूराम कुमावत जाति कुमावत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज० ।

–वादीगण–

बनाम

1. कैलाशकंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत निकली हिसामपुर तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली. जिला–टोंक राज0 ।
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली. जिला–टोक राज0 ।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
5. ललिताकंवर पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0।
6. विरेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 ।
7. तहसीलदार देवली, जिला–टोंक राज० ।

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं 94 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन

ुद्दई रूबरू भारत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व राजीनामा के आधार पर डिक्री दी जाती है कि

आदेश

हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में ख. नं. 765 रकबा 0.14 है0 में से वादी संख्या 1 को 5/14 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 3/14 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 3/14 हिस्से का व वादी संख्या 4 को 3/14 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए